न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 136/2020

शब्बीर मोहम्मद पुत्र स्व. श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान आयु 58 वर्ष निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व. श्री शफी मोहम्मद पुत्र स्व. श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर किशनगढ़ (अजमेर)
2. जमीला बानों पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद पुत्र स्व. श्री नाथू खा जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
3. श्रीमती अनीसा पत्नी स्व. श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
4. रेशमा पुत्री स्व.श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व.श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
5. शमशाद पुत्री स्व.श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
6. रसीदा पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
7. रफीक मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाडी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर
8. महमूदा पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
9. जायदा पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
10. मोहम्मद फिरोज पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
11. सलमा पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
12. शमशेर खाँ पुत्र स्व.श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
13. श्री तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास पुरोहित दिनांक 16.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्ददास पुरोहित ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वाद धारा 88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 एक ही परिवार के सदस्य है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर/बड़ा वसुर श्री नाथू खाँ के कब्जे काश्त खातेदारी की निम्न खसरा नम्बर की पैतृकि वादग्रस्त भूमि ग्राम किशनगढ़ में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

क्रम सं०	सेटलमेन्ट ख.नं.	वर्तमान ख.नं.	एकीकरण ख.नं	रकबा
1	2448	1158	1656	11 बीघा 10 बिस्वा
	2449			
	2450		1657	

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर/ बड़ा श्वसुर श्री नाथू खा का दिनांक 18.5.1998 को स्वर्गवास हो गया।

प्रार्थी व अप्रार्थ्थी संख्या 12 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पति/पिता/श्वसुर/ दादा श्री शफी मोहम्मद के पिता श्री नाथू खाँ के निधन के बाद वादग्रस्त वर्तमान खसरा नमबर 1656 व 1657 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 उसके विधिक वारिसान (पुत्र) शफी मोहम्मद, शमशेर खा व शब्बीर मोहम्मद के पक्ष में स्वीकृत किया जाना चाहिए। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पति/पिता/श्वसुर/दादा स्व. श्री शफी मोहम्मद व अप्रार्थी संख्या 12 ने पटवार हल्का किशनगढ़ से मिलकर गोपनीय रूप से श्री नाथू खाँ के देहावसान के बाद वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 अपने पक्ष में 1/2–1/2 हिस्से के रूप में स्वीकृत करा लिया जबकि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 में प्रार्थी का भी अपने पिता श्री नाथू खा के देहावसान के बाद विधिक हक व अधिकार सृजित हो जाता है अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पति/पिता/श्वसुर/दादा स्व. श्री शफी मोहम्मद व अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में स्वीकृत विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 प्रार्थी के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन है और प्रार्थी उक्त नामान्तकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का कानूनन् अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर/बड़े वसुर श्री नाथू खाँ के निधन के बाद प्रार्थी का वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त बदस्तूर निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 12 का वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि में बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 परस्पर सहमति से 1/3 –1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी को अपने पिता श्री नाथू खा के देहावसान के बाद वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि में 1/3 हिस्से पर हक व अधिकार कानूनन सृजित हो गया , प्रार्थी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि के काश्त बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के मध्य प्रतिवर्ष खरीफ की फसल काश्त करने पर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर दिनांक 10.6.2020 को ट्रेक्टर ले जाकर वादग्रस्त भूमि पर काश्त करना प्रारम्भ किया तो अप्रार्थी संख्या 1, 7, 10 व 12 ने व्यवधान पैदा कर दिया और प्रार्थी के हक व अधिकार को अस्वीकार कर दिया प्रार्थी को स्वयं के 1/3 हिस्सा भूमि को काश्त करने का अधिकार है जिसमें बाधा कारित करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 1/3 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के मध्य कब्जे काश्त के विवाद के निस्तारण हेतु वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 का कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी के 1/3 हिस्सा भूमि का पृथक से खसरा नम्बर, खाता नम्बर व लगान कायम किया जाना आवश्यक , अप्रार्थी संख्या 1, 7, 10 व 12 ने प्रार्थी को दिनांक 10.6.2020 को उसके 1/3 हिस्से की भूमि को काश्त करने में व्यवधान पैदा करने व प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में निहित हक व अधिकार को अस्वीकार करने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है अतः प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 स्वयं एवं उनके वैध प्रतिनिधि को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को ग्राम किशनगढ़ के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 के 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.07.2020 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई दिनांक 07.09.2021 को वकील श्री जहीर खान द्वारा अप्रार्थीगणों की ओर से अन्डरटेकिंग ली गई किन्तु दिनांक 21.10.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 21.10.2024 को उनका जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 02.04.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी

उपखण्ड अधिकारी

गई तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– :– वादअधीन भूमि में प्रार्थी का हक जाहिर नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में सहखातेदार है, सहखातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अपूरणिय क्षति अप्रार्थी को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

-निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)